कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक–964 राँची, दिनांक– 06.11.2020

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विशय :– **बी0सी0सी0एल0 का कुईया कोलयरी हेतु मौजा–बेरा में कुल 16.49 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 2684 दिनांक 18.11.2019 एवं 2895 दिनांक 09.12.2019**
2. मेसर्स बी0सी0सी0एल का पत्रांक 260 दिनांक 29.10.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि बी0सी0सी0एल0 के कुईया खुली खदान हेतु मौजा–बेरा में 16.49 हे0 अधिसूचित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 2684 दिनांक 18.11.2019 एवं 2895 दिनांक 09.12.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुयी है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयगत कुईया प्रोजेक्ट का कुल एरिया 340.50 हे0 है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

सुरक्षित वन	गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी	रैयती जंगल झाड़ी	गैर वनभूमि	कुल
117.51	0.00	5.11	217.88	**340.50**

इसमें से 101.02 हे0 वनभूमि की स्वीकृति पूर्व में प्राप्त है। यह स्वीकृति धानुडीह–बेरा खुली खदान परियोजना के लिए अपयोजित प्रस्ताव 234.08 हे0 का भाग है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No. 8-44/2009-FC दिनांक 12.04.2012 से प्राप्त है। अन्य स्वीकृत एरिया बेरा एवं दोबरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। पूर्व स्वीकृति 234.08 हे0 में 64.06 हे0 बेरा पी0एफ0 सम्मिलित है। बेरा पी0एफ0 के अधिसूचित एरिया 80.55 हे0 में से अवशेष एरिया 80.55 – 64.06 = 16.49 हे0 है। कुईया प्रोजेक्ट के अंतर्गत अवशेष अधिसूचित वनभूमि 117.51 – 101.02 = 16.49 हे0 है, जिसके लिए प्रस्ताव समर्पित है। कुईया परियोजना में बेरा पी0एफ0 का यही भाग सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त 5.11 हे0 रैयती जंगल–झाड़ी भूमि भी प्रोजेक्ट एरिया में है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि यह क्षेत्र कोल बियरिंग नहीं है एवं यहाँ सघन आबादी भी है, जिसके चलते उसके अपयोजन की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन उनके

द्वारा वचनबद्धता दी गई है कि उस रैयती जंगल–झाड़ी भूमि का नियमानुसार NPV की राशि जमा करने के लिए वे तैयार है। फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मात्र अधिसूचित वनभूमि 16.49 हे0 का प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित किया जाता है :–

1. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण निम्नवत् है :–

प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना / थाना नं0	प्लॉट नं0	अधिसूचित सुरक्षित वनभूमि का रकवा (हे0 में)	गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज वनभूमि का रकबा (हे0 में)	कुल प्रस्तावित वन भूमि का रकबा (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
धनबाद वन प्रमंडल	बेरा	झरिया / 45	136 (पी0)	16.49	0.00	16.49	0.6

2. वनभूमि अपयोजन के क्रम में क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल के द्वारा प्रमण्डल में अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के दो गुणा रकवा में भू–संरक्षण एवं वनरोपण–कैम्पा क्षतिपूरक वनरोपण प्रस्तावित की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

क्र0 स0	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	थाना नं0	प्लॉट नं0	रकवा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	धनबाद वन प्रमण्डल।	टुण्डी	टकीपुर	टुण्डी–10	562	25.00
2.			भुराही	टुण्डी–9	125, 131, 218, 219, 222, 227, 229	8.00
					कुल :–	**33.00**

3. ऑनलाईन प्रस्ताव से संबंधित पार्ट–I की प्रति संलग्न है।
4. 1:50000 स्केल के टोपो शीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
5. प्रस्तावित वनभूमि का Geo Reference Map संलग्न है।
6. क्षतिपूरक वनरोपण के लागत वहन करने संबंधी वचनबद्धता संलग्न है।
7. NPV की राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता संलग्न है।
8. वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र जमा करने संबंधी वचनबद्धता संलग्न है।
9. संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत Certified Land Schedule संलग्न है।
10. बी0सी0सी0एल0 का आंशिक नक्शा जिस पर प्रस्तावित वनभूमि दर्शाया गया है।
11. विहित प्रपत्र पार्ट–II में वन प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा संलग्न है।
12. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
13. क्षतिपूरक वनरोपण योग्य भूमि संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न है।
14. क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन संलग्न है।
15. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का DGPS Survey का मैप एवं मौजा नक्शा संलग्न है।
16. वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।

17. अपयोजित होने वाली वनभूमि एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वनभूमि का KML एवं Shape File सी.डी. के रूप में संलग्न है।
18. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो विहित प्रपत्र पार्ट–III में अनुशंसा संलग्न है।
19. प्रस्ताव पर CWLW, झारखण्ड, राँची का मंतव्य अपेक्षित है। इस संबंध में उनसे अनुरोध किया जा रहा है, जिसे प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायेगा।
20. अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य पार्ट–IV संलग्न है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विषयगत वनभूमि के लीज होल्ड एरिया एवं DGPS (KML) में area difference है। इस संबंध में दिनांक 17.08.2020 को BCCL के श्री सुमन चटर्जी, महाप्रबंधक एवं श्री सुमित कमार झा, ई0ई0 द्वारा वस्तुस्थिति पर विमर्श किया गया। इस संबंध में मेसर्स बी0सी0सी0एल0 के पत्रांक BCCL/BA/IX/GM/FC/20-260 दिनांक 29.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया कि कुईया कोलियरी का गठन राष्ट्रीयकरण के पूर्व विभिन्न आठ खानों के विलयन से हुआ है। योजना भी उसी के अनुरूप हो गई। लीज होल्ड का पुराना एरिया 340.50 हे0 है, परन्तु वर्तमान समय के उन्नत सर्वेक्षण प्राद्योगिकी की उपयोग के कारण डिजिटल प्लान में 375.74 हे0 दिख रहा है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुल 16.49 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु अनुसंशा की गई है। अधोहस्ताक्षरी उनके मंतव्य से सहमत हाते हुए विषयगत परियोजना हेतु कुल 16.49 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I की स्वीकृति के लिए लोकहित में मानक शर्त्तों पर अनुसंशा की जाती है।

इस परियोजना प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। अतः मूल प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।
(मूल प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ)

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

6-11-20

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Kuya Colliery (OCP) (BCCL) 16.49 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 16.49 ha. Forest land.

Date :-

Place :- Ranchi.

Signature

(A.K. Rastogi)
Nodal Officer
Name & Designation.

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)